37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :–ऐसे किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का अधिकार, जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल हो जाता है अथवा सम्बद्धता की शर्तो का पालन नहीं कर पाता है, उस महाविद्यालय के प्रबंध समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति से, कार्य परिषद द्वारा परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(vii) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति हेतु महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के उपरान्त ही विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जा रहा है।

(viii) महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कमियों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र के आधार पर सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जा रहा है। शासनादेश में प्रदर्शित कमियों को पूर्ण न करने एव भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(ix) संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16° (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशो एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

(x) संस्था मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2– 2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित रूप से करेगी।

भवदीय

डॉ0 (एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :–

1– मा0 कुलपति जी–सूचनार्थ।
2– संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4– उपकुलसचिव, (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।
5– सम्बंधित पत्रावली।

डॉ0 (एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव